राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः प.7(906)/निचिस्वा/विधि/अव./2014/ 482 दिनांकः– 14.11.14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर एवं समन्वयक।

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 155/2014 (अन्तर्गत अपील संख्या 177/2012) रामजीवन कश्यप बनाम डॉ0 बी0आर0मीणा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिये श्री राजेश निगम, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें, जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

उक्त अवमानना प्रकरण में माननीय न्यायालय से प्रत्यर्थीगण संख्या (1) व (2) के नाम प्राप्त अवमानना नोटिस मय अवमानना याचिका की छाया प्रति एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित वकालतनामा संलग्न कर भिजवाये जा रहे है ।

प्रकरण में अवामनना याचिका की प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7( )/निचिस्वा/विधि/ 10/513 दिनांक 24.02.10 में वर्णित निर्देशानुसार पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय–समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.7(906) निचिस्वा/विधि/अव./2014/ 482 दिनांकः–14.11.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याचिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करावें ।
2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर।
3 डीलिंग असिस्टेन्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय की पालना प्रगति से शीघ्र अवगत करावें।
4 श्री राजेश निगम, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मो0नं. 9414075849।
5 प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई–मेल करने बाबत्।
6 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
7 रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

अभिभाषक–पत्र

(आर्डर 3 रूल 4 जाबता दिवानी)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
अवमानना याचिका संख्या 155/2014 (अन्तर्गत अपील संख्या 177/2012)

तारीख प्रस्तुति .....

वादी/अभियोगी

रामजीवन कश्यप

आवेदक/अपीलान्ट

विरूद्ध

डॉ0 बी0आर0मीणा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर व अन्य।

प्रतिवादी/अभियुक्त

प्रतिपक्षी/ रेस्पोडेन्ट

वाद/अपील

मैं/ हम बी0आर0मीणा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर एवं दिनेश जांगिड, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर .....

इस वाद में अभिभाषक द्वारा समर्थन करना स्वीकारतें है, इसलिए मै/हम श्री राजेश निगम, स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर को रूपये .....(शुल्क) पर अभिभाषक नियत कर प्रतिज्ञा करता हूँ/ करते हैं कि उक्त अभिभाषक वाद वादोत्तर अपील आवेदन–पत्र पुनरावलोकन पुनः विचार पुनः स्थापना संशोधन व अभियोग पत्रिका पर हस्ताक्षर करें और पेश करें, प्रमाणित प्रतिलिपी ले, उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, समर्थन करें, संयुक्त व्यापार समिति को राय पुस्तांकन करावें, शपथ–पत्र प्रस्तुत करे, समझौते प्रतिभूति देकर प्रमाणीकरण करावें। कोष न्यायालय व अन्य विभागों से रूपया लेकर प्रमाणित करावें व पंच निश्चय कर और पंचायती निर्णय या प्रमाणीकरण करावें । किसी डिग्री का परिवर्तन करावें और प्रमाण–पत्र धोष विक्रय ले, निरीक्षण पत्र संग्रह करें अन्य अभिभाषक प्रतिनिधि निश्चित शुल्क पर समर्थन के लिए नियत करें व अन्य कार्यवाही अभिभाषकजी जो करें, अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्यवाही के समान स्वीकार होगी ।

दिनांक .....

टिप्पणी –वाद के बीच हानि व व्यय जो प्रतिपक्ष से मिले व अभिभाषकजी का होगा । निश्चित तिथि तक पूरा शुल्क न मिलने पर अभिभाषकजी को अधिकार होगा कि पक्ष का समर्थन करे या न करें व न्यायालय शुल्क अभिभाषक पत्र के साथ है, हस्ताक्षर सोच व समझकर किये है।

साक्षी–

(1).....

(2).....

(3).....

हस्ताक्षर

(1).....

(2).....

(3).....

अभिभाषककर्ता स्वीकार पक्ष

13010
7-11-14

रा. के. मु. ज.-51-5,000-04.

(1)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्रमांक 7175 दिनांक: 3.11.14

प्रेषक: रजिस्ट्रार,
राजस्थान सिविल सेवा अपील,
अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति श्री आर. मीणा, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चि. एवं स्वा. सेवायें जयपुर राज., स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी-स्कीम जयपुर

NO/PA/Dir./P. H./
4316
D.M. & H.S. (P.H.)
DLR

विषय :—अपील क्रमांक 176/12 श्री रामजीवन कछवा
अवमानना पं. 155/2014

बनाम

राजस्थान सरकार एवं अन्य

महोदय,

उक्त अपील में अपीलार्थी श्री रामजीवन कछवा में एक प्रार्थना-पत्र (Contempt Application) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर लेख है कि आप दिनांक 12-11-14 को अधिकरण के समक्ष स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

संलग्न : प्रार्थना-पत्र
(Contempt Application)

भवदीय,

सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

जयपुर।

रा. के. मु. ज.-51-5,000-04.

13648
11-11-14

NO/PA/ADDL. DMHS (ADM.)
DLK
07 NOV 2014
ADDL, DMHS (ADM)

PA/ADDL. DMHS (ADM.)
No. 137
Date 11/11/14

(2)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्रमांक 7176 | दिनांक : 3.11.14

प्रेषक : रजिस्ट्रार,
राजस्थान सिविल सेवा अपील,
अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : [illegible]
अति. निदेशक (प्रशासन)
स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग [illegible]
[illegible]

विषय :—अपील क्रमांक 176/12 श्री [illegible]
[illegible] 155/2014

बनाम

राजस्थान सरकार एवं अन्य

महोदय,

उक्त अपील में अपीलार्थी श्री [illegible] में एक प्रार्थना-पत्र (Contempt Application) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर लेख है कि आप दिनांक 12-11-14 को अधिकरण के समक्ष स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

संलग्न : प्रार्थना-पत्र
(Contempt Application)

भवदीय,

सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर।

समक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण,जयपुर।

अवमानना प्रा0 पत्र सॅख्या /2014

अन्तर्गत

अपील सॅख्या 171/2012

रामजीवन कश्यप

बनाम

डा0 बी0 आर0मीणा, निदेशक

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ सॅख्या
1.	अवमानना प्रार्थना पत्र	
2.	प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र	
3.	आदेश दिनांक 02.07.2013 प्रदर्श-1	

जयपुर

दिनांक :-

जरिये अधिवक्ता

रामजीवन कश्यप

समक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण,जयपुर।

अवमानना प्रा0 पत्र सॅख्या /2014

अन्तर्गत

अपील सॅख्या 171/2012

रामजीवन कश्यप पुत्र स्व श्री सुगनचन्द कश्यप उम्र 66 साल ग्राम पोस्ट खोचपुरी तहसील महुवा जिला दौसा। हाल निवासी वैदही जी के मान्देर के पीछे, तहसील रोड महुवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. डा0 बी0 आर0मीणा, निदेशक(जन स्वास्थय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान,जयपुर। स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,जयपुर।
2. दिनेश कुमार जांगिड अति.निदेशक(प्रशासन) चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान,जयपुर। स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर।
3. डा.हरेन्द्र सिंह,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भरतपुर राजस्थान।

रामजीवन कश्

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 02.07.13 की पालना कें सम्बन्ध में अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम 1971

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 02.07.13 की पालना के सम्बन्ध में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है –

1– यह कि प्रार्थी ने एक अपील सॅख्या 171/12 माननीय अधिकरण के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 की वेतन श्रृखला में मिलना चाहिए था,परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उक्त चयनित वेतनमान का लाभ नही दिया।

2– यह कि उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थीगण को नोटिस तामील के उपरान्त प्रत्यर्थीगण का जवाब आने के

वेतन निर्धारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे। अपीलार्थी के सम्बन्ध में यदि कोई वसूली का आदेश पारित किया गया है तो वह उन्हे वापिस लौटाई जावें पालना तीन माह में की जावे। माननीय अधिकरण का आदेश दिनांक 02.07.13 की फोटोप्रति प्रदर्श-1 है।

3- यह कि प्रार्थी ने प्रत्यर्थीगण को आदेश की पालना हेतु निवेद किया तथा प्रत्यर्थी विभाग की उपस्थिति में ही उक्त आदेश पारित किया गया था परन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज तक भी प्रार्थी को माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार परिलाभ नही दिये। प्रत्यर्थीगण जान-बूझकर माननीय अधिकरण के आदेशो की पालना नही कर रहे है।

4- यह कि प्रार्थी ने माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु न तो कोई प्रगति प्राप्त हुई है न ही आदेश की पालना की गई है इस कारण अधिकरण के निर्णय की पालना नही किये जाने से मै अवमानना की कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हूँ।

5-यह कि प्रर्त्थीगण ने माननीय अधिकरण के आदेशानुसार व समय सीमा में अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार परिलाभ प्रदान नही किये है तथा माननीय अधिकरण के आदेशो की प्रत्यर्थीकरण ने समय सीमा में पालना नही करने के कारण जान-बूझकर अवहेलना की है, जिसके लिये प्रत्यर्थीगण दोषी है।

प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के उक्त कृत्य के विरूद्व माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 02.07.13 की पालना नही करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये प्रत्यर्थीगण से माननीय अधिकरण के

आदेशो की पालना करवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

6– यह कि प्रत्यर्थीगण द्वारा माननीय अधिकरण के आदेशो की पालना नही करने के कारणस प्रत्यर्थीगण दोषी होने के कारण प्रत्यर्थीगण अवहेलना के दोषी है,जिनके विरूद्व कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थीगण ने जान –बूझकर प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिये विधि विरूद्व तरीके से माननीय अधिकरण के आदेशो की पालना नही की है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 02.07.13 की पालना नही करने के सम्बन्ध में अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 02.07.13 की अक्षरशः पालना करवाई जावे तथा पालना नही किये जाने की स्थिति में प्रकरण में माननीय अधिकरण के आदेशो की अवमानना मानते हुये प्रकरण को दंड हेतु माननीय उच्च न्यायलय को प्रेषित किया जो। अन्य कोई आदेश जो हितकर प्रार्थी हो,अता फरमाये।

प्रार्थी

जरिये अधिवक्ता

(रामजीवन कश्यप)

रामजीवन कश्यप

समक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण,जयपुर।

अवमानना प्रा0 पत्र सॅख्या /2014

रामजीवन कश्यप बनाम डा0 बी0आर0 मीणा निदेशक व अन्य

अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र

रामजीवन कश्यप पुत्र स्व श्री सुगनचन्द कश्यप उम्र 66 साल ग्राम पोस्ट खोचपुरी तहसील महुवा जिला दौसा। हाल निवासी वैदही जी के मन्दिर के पीछे, तहसील रोड महुवा जिला दौसा सशपथ बयान करता हूँ कि :-

1- यह कि मै उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी हूँ और प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों से पूर्णतया परिचित हूँ।

2- यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के आधार पर सही एवं सत्य है।

3- यह कि शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग मानकर पढा जावे।

जयपुर

दिनांक

शपथग्रहिता

रामजीवन

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा सँख्या 1 लगायत 3 में वर्णित तथ्य सही लिखे गये है,इनमें किसी तथ्य को छिपाया नही गया है,ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

रामजीलाल